न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **चेतन देवड़ा,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 16/2012 (रेफरेंस)
पंजीयन दिनांक 03.09.2012

सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़

–प्रार्थी

बनाम

प्रबन्धक, क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. चित्तौड़गढ़

–विपक्षी

कार्यवाहीः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 आर. टी. ए. 1955

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपस्थितिः– 1– श्री मनोहर लाल दक, राजकीय अभिभाषक
2– श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता विपक्षी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 31.12.2019

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी भूमिधारी (तहसीलदार) चित्तौड़गढ़ ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम चित्तौड़गढ़ तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 1049 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा भूमि किस्म नाडी होकर बिलानाम मेवाड बन्दोबस्त में दर्ज थी। उक्त भूमि की किस्म नाडी होने से इसे किसी भी व्यक्ति को आवंटन नहीं किया जा सकता था। इस भूमि के नवीन आराजी नम्बर 3212 रकबा 1.82 हैक्टेयर बने हैं जिसमें से आ. नं. 3212/2 रकबा 0.09 है. भूमि जो विपक्षी के नाम जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 में क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. चित्तौड़गढ़ के नाम से राजस्व रेकार्ड में अंकित है जो कि राजस्थान भू

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के डी. बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 श्री अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 के निर्देशानुसार 15 अगस्त 1947 के समय के मौका एवं रेकार्ड की स्थिति को यथावत रखने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः ग्राम चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 3212/2 रकबा 0.09 हैक्टेयर को पुनः पूर्व अंकन अनुसार रेकार्ड में किस्म नाडी बिलानाम दर्ज की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री छोगालाल जाट ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। विपक्षी की ओर से जवाब प्रस्तुत होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम चित्तौड़गढ़ की मेवाड़ बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1049 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा भूमि किस्म नाडी बिलानाम दर्ज थी। उक्त भूमि की किस्म नाडी होने से इसे किसी भी व्यक्ति के नाम दर्ज नहीं की जा सकती थी। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, एवं जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते हैं। गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1049 किस्म नाडी दर्ज थी। उक्त किस्म की भूमि को किसी भी व्यक्ति को कृषि अथवा अन्य प्रयोजनार्थ आवन्टन नहीं किया जा सकता था। गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1049 के नवीन बन्दोबस्त की आराजी संख्या 3212 रकबा 1.82 है. में से 0.09 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकार्ड में विपक्षी के नाम दर्ज है जो

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विधि-विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः आवेदन स्वीकार फरमाकर उक्त आराजी को पूर्व किस्म अनुसार अंकन का आदेश प्रदान करावे।

अधिवक्ता विपक्षी का मुख्य कथन यह रहा कि ग्राम चित्तौड़गढ़ की आराजी संख्या 1049 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा भूमि होना स्वीकार है किन्तु उक्त भूमि नाडी होकर बिलानाम मेवाड बन्दोबस्त से दर्ज रही यह कथन स्वीकार नहीं है। मौके पर कोई नाडी नहीं होकर उक्त भूमि की किस्म गे. मु. है जो कि विपक्षी को 99 वर्ष की लीज पर आवंटित हुई है। भूमिधारी द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि उक्त रेकार्ड में हाथ से कांट छांटकर उनके द्वारा नाडी शब्द जोडा गया है तथा उनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे उक्त भूमि नदी/नाला/नाडी होने संबंधी पुष्टि होती हो। उक्त भूमि वक्त आवंटन भी नदी/नाला या नाडी दर्ज नहीं रही है। आवंटन शुदा भूमि का तामान्तकरण विपक्षी के पक्ष में होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। प्रस्तुत रेफरेन्स अवधि बाहर है। अतः तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स आवेदन खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। उक्त अभिलेख/दस्तावेजों का अवलोकन करने पर निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि भूमिधारी तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण में ग्राम चित्तौड़गढ़ की गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1049 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा भूमि का जो रेकार्ड प्रस्तुत किया है उसमें भूमि की किस्म नाडी दर्ज नहीं है बल्कि भूमिधारी, तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा उसमें हाथ से भूमि की किस्म नाडी जोड़ा गया है तथा इस संबंध में भूमिधारी एवं राजकीय अभिभाषक द्वारा कोई तर्क/स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है कि क्यों कर उनके द्वारा महकमा बन्दोबस्त के रेकार्ड में हाथ से आगे भूमि की किस्म नाडी दर्ज किया गया है।

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1049 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा भूमि की किस्म नाडी होना प्रतीत नहीं होती है। निष्कर्षतः भूमिधारी तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(चेतन देवड़ा)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2020.02.03 17:47:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: